



न्यायालय

## सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुडामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:- 2023/2

दर्ज तिथि:-02.01.2023

1. माना पुत्र नवा  
कौम कलबी साकिन मघा की ढाणी तहसील गुडामालानी बाड़मेर।

.....वादी

बनाम

1. चेना पुत्र रूपा
2. जगदीश पुत्र रूपा
3. दुर्गा पुत्र चुतरा
4. दीपा पुत्र नवा
5. धापूदेवी पत्नी रूगनाथ
6. पना पुत्र चुतरा
7. प्रभी पत्नी चुतरा
8. पाता पुत्र खीमा
9. पार्वती पत्नी रूपा
10. भंवरा पुत्र नवा
11. रम्भा पत्नी नवा

कौम कलबी साकिन मघा की ढाणी तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

.....असल प्रतिवादी

12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुडामालानी जिला बाड़मेर।

.....तरतीबी प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:- श्री हरीश चौधरी

प्रतिवादीगण:- एक तरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा- 53,188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

&%u. k: %&

निर्णय तिथि:- 07.08.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 का बाबत घोषणा, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी खसरा संख्या 663/2.0234 है0, 665/6.2241 है0, 696/3.6745 है0।



ढाणी पटवार हल्का भाखरपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में वादीगण के हिस्से खुले हुए हैं तथा आराजी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त हिस्सा आराजी के कुल कार्य काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते हैं। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादी को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के बावजूद विधिवत तामिल अनुपस्थित रहने से प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। प्रकरण में अभिभाषक वादीगण की बहस सुनी गई। अभिभाषक वादीगण द्वारा दौरान-ए-बहस बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा किये जाने पर सहमति प्रदान करने पर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 21.03.2024 को जारी की जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/1079 दिनांक 01.07.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम-1955 के नियम-18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की गई। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक वादी द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/1079 दिनांक 01.07.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम-1955 के नियम-18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार है:-

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
<p><b>21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields.</b> - The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.</p>	<p>प्रकरण में दिनांक 26.05.2025 को तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>
<p>प्रकरण में पक्षकारो को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की</p>	<p>1. प्रकरण में समस्त वादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस पत्रांक 1377-1388 दिनांक 02.04.2025 द्वारा मौका</p>

दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।	निरीक्षण की दिनांक 26.05.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई। 2. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस पत्रांक 1377-1388 दिनांक 02.04.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 26.05.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।
---	---

3. प्रकरण में वादी द्वारा कुर्रैजात रिपोर्ट पर दी गई सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2075-2078 तथा कुर्रैजात रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 663/2.0234 है0, 665/6.2241 है0, 696/3.6745 है0 मौजा मघा की ढाणी पटवार हल्का भाखरपुरा जिला बाड़मेर के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण की शामिली कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। वादीगण की कुर्रैजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है। अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन-प्रस्ताव (कुर्रैजात रिपोर्ट) मय नक्शा-ट्रेस एवं पक्षकारान सहमति के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

4. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ-साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। प्रकरण में वादी के अनुतोष के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 का उद्धरण यहाँ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार है:-

**188. Injunction against wrongful ejection—**

(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.

(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-

(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;

(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;

(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.

(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.

5. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा-188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारो की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान/अतिक्रमण किया जा रहा हो/किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न/अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 की उपधारा-2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई है:-

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।
2.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

6. इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन के अनुसार स्पष्ट है कि प्रकरण में वादी का प्रथम अनुतोष स्वीकार होने के पश्चात् मुतनाजा आराजी पर वादी का संयुक्त काश्तकार घोषित होने के आधार पर वादी की संयुक्त खातेदारी होना पूर्ण रूप से साबित होती है। अतः मुतनाजा आराजी पर मुताबिक हिस्सा वादी का संयुक्त स्वामित्व अविवादित है। प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादीगण की आराजी का विभाजन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त विभाजन के पश्चात् वादीगण व प्रतिवादीगण का पृथक-पृथक खाता कायम किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही हाल में संयुक्त आराजी का रिकॉर्ड में पृथक अंकन किया जाकर मौके पर उसी अनुसार कब्जा भी पृथक से सुपुर्द किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात् रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक-पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग-उपभोग बिना किसी बाधा के करने हेतु अधिकृत व स्वतंत्र है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात् रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक-पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग-उपभोग बिना किसी बाधा के करने में आपस में किसी प्रकार का अवरोध खातेदारी अधिकारों पर नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। इस आधार पर वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात् रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक-पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग-उपभोग बिना किसी बाधा के करने में आपस में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है।
7. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक-पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादी अन्तर्गत धारा-88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 663/2.0234 है0, 665/6.2241 है0, 696/3.6745 है0 मौजा मघा की ढाणी पटवार हल्का भाखरपुरा जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
मानाराम पुत्र नवाराम भंवराराम पुत्र नवाराम दीपाराम पुत्र नवाराम रम्भा पत्नी नवाराम जाति कलबी सा0 देह खातेदार	मघा की ढाणी	696	0.7141	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 0.7141 है0				
चेना पुत्र रूपा हि0 1/12 जगदीश पुत्र रूपा हि0 1/12 दुर्गा पुत्र चुतरा हि0 1/12 धापूदेवी पत्नी रूगनाथ हि0 1/4 पना पुत्र चुतरा हि0 1/12 प्रभी पत्नी चुतरा हि0 1/12 पाता पुत्र खीया हि0 1/4 पार्वती पत्नी रूपा हि0 1/12 जाति कलबी सा0 देह खातेदार	मघा की ढाणी	696 696	1.4283 1.4283	बा0दो0 बा0दो0
कुल किता 02 रकबा 2.8566 है0				
राजस्थान सरकार	मघा की ढाणी	696	0.1038	गै0मु0 रास्ता
कुल किता 01 रकबा 0.1038 है0 रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ				
चैना पुत्र रूपा हि0 1/15 जगदीश पुत्र रूपा हि0 1/15 दुर्गा पुत्र चुतरा हि0 1/15 दीपा पुत्र नवा हि0 1/20 धापूदेवी पत्नी रूगनाथ हि0 1/5 पना पुत्र चुतरा हि0 1/15 प्रभी पत्नी चुतरा हि0 1/15 पाता पुत्र खीया हि0 1/15 पार्वती पत्नी रूपा हि0 1/15 भंवरा पुत्र नवा हि0 1/20 माना पुत्र नवा हि0 1/20 रम्भा पत्नी नवा हि0 1/20 जाति कलबी सा0 देह खातेदार	मघा की ढाणी	663 665	2.0234 6.2241	बा0दो0 बा0दो0
कुल किता 02 रकबा 8.2475 है0				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

माना बनाम चेना

2023/2

निर्णय दिनांक:-07.08.2025

यह निर्णय आज दिनांक 07.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)

सहायक कलक्टर

गुढामालानी-बाड़मेर





न्यायालय

## सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुडामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:- 2023/2

दर्ज तिथि:-02.01.2023

1. माना पुत्र नवा  
कौम कलबी साकिन मघा की ढाणी तहसील गुडामालानी बाड़मेर।

.....वादी

बनाम

1. चेना पुत्र रूपा
2. जगदीश पुत्र रूपा
3. दुर्गा पुत्र चुतरा
4. दीपा पुत्र नवा
5. धापूदेवी पत्नी रूगनाथ
6. पना पुत्र चुतरा
7. प्रभी पत्नी चुतरा
8. पाता पुत्र खीमा
9. पार्वती पत्नी रूपा
10. भंवरा पुत्र नवा
11. रम्भा पत्नी नवा

कौम कलबी साकिन मघा की ढाणी तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

.....असल प्रतिवादी

12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुडामालानी जिला बाड़मेर।

.....तरतीबी प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:- श्री हरीश चौधरी

प्रतिवादीगण:- एक तरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा- 53,188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

&%i pkl fMØh%&

दावा वादी अन्तर्गत धारा-88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 663/2.0234 है0, 665/6.2241 है0, 696/3.6745 है0 मौजा मघा की ढाणी पटवार हल्का भाखरपुरा जिला बाड़मेर मुताबिक

कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
मानाराम पुत्र नवाराम भंवराराम पुत्र नवाराम दीपाराम पुत्र नवाराम रम्भा पत्नी नवाराम जाति कलबी सा0 देह खातेदार	मघा की ढाणी	696	0.7141	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 0.7141 है0				
चेना पुत्र रूपा हि0 1/12 जगदीश पुत्र रूपा हि0 1/12 दुर्गा पुत्र चुतरा हि0 1/12 धापूदेवी पत्नी रूगनाथ हि0 1/4 पना पुत्र चुतरा हि0 1/12 प्रभी पत्नी चुतरा हि0 1/12 पाता पुत्र खीया हि0 1/4 पार्वती पत्नी रूपा हि0 1/12 जाति कलबी सा0 देह खातेदार	मघा की ढाणी	696 696	1.4283 1.4283	बा0दो0 बा0दो0
कुल किता 02 रकबा 2.8566 है0				
राजस्थान सरकार	मघा की ढाणी	696	0.1038	गै0मु0 रास्ता
कुल किता 01 रकबा 0.1038 है0 रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ				
चैना पुत्र रूपा हि0 1/15 जगदीश पुत्र रूपा हि0 1/15 दुर्गा पुत्र चुतरा हि0 1/15 दीपा पुत्र नवा हि0 1/20 धापूदेवी पत्नी रूगनाथ हि0 1/5 पना पुत्र चुतरा हि0 1/15 प्रभी पत्नी चुतरा हि0 1/15 पाता पुत्र खीया हि0 1/15 पार्वती पत्नी रूपा हि0 1/15 भंवरा पुत्र नवा हि0 1/20 माना पुत्र नवा हि0 1/20 रम्भा पत्नी नवा हि0 1/20 जाति कलबी सा0 देह खातेदार	मघा की ढाणी	663 665	2.0234 6.2241	बा0दो0 बा0दो0
कुल किता 02 रकबा 8.2475 है0				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रुकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शकल मौका आराजी ना बदले।

माना बनाम चेना

2023/2

निर्णय दिनांक:-07.08.2025

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज दिनांक 07.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)  
सहायक कलक्टर  
गुढामालानी-बाड़मेर

